संख्याः- 106/2018/4244/सोलह-1-2018-9(बजट-7)/2016

प्रेषक,

सुरजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 19 दिसम्बर, 2018**

विषयः- उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में यांत्रिक, विद्युत, रसायन एवं टेक्सटाइल टेस्टिंग विभागों की प्रयोगशालाओं के रिनोवेशन/नवीनीकरण/निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2189, दिनांक 30.07.2018, पत्रांक-3170, दिनांक 19.09 .2018 एवं पत्रांक-3954, दिनांक 31.10.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किउत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में यांत्रिक, विद्युत, रसायन एवं टेक्सटाइल टेस्टिंग विभागों की प्रयोगशालाओं के रिनोवेशन/नवीनीकरण/निर्माण हेतु 67.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि 67.34 (रूपये सड़सठ लाख चौंतीस हजार मात्र) लाख निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(2) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) प्रायोजना में प्रस्तावित सर्विस टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

(9) निदेशक, यू०पी०टी०टी०आई०, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, निदेशक, यू०पी०टी०टी०आई०, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

(11) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-19-इंजीनियरिंग कालेजों मे सोलर पावर/लैब उच्चीकरण आदि-24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डालाजायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस 2018/231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरजन)
विशेष सचिव

<u>संख्या-106/2018/4244(1)/सोलह-1-2018-9(बजट-7)/2016टी.सी. तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(4) जिलाधिकारी, कानपुर।
(5) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(7) प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यूनिट-10), कानपुर।
(8) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
(9) वित्त ई-11, अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।